झारखण्ड सरकार,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

संचिका संख्या-06/वन निगम-11/2020- 148 **राँची, दिनांक-** 19/01/2021

विषयः-झारखण्ड राज्य अंतर्गत लाह फार्म का प्रबन्धन तथा लाह उत्पादन को बढ़ावा देकर लगभग बारह (12) लाख परिवार की अतिरिक्त आय लगभग रू0 5200/- प्रति वर्ष सृजन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाह उत्पादन वृद्धि योजना के कार्यान्वयन करने के संबंध में।

झारखण्ड लाह उत्पादन के क्षेत्र में देश का कुल 53% वार्षिक उत्पादन कर अग्रणी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। झारखण्ड राज्य के अन्दर लाह का कार्य कई विभागों द्वारा किया जाता है यथा- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झास्को लैम्प) तथा ग्रामीण विकास विभाग (JSLPS) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से ट्राइफेड (भारत सरकार) का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। अन्तर्विभागीय **समन्वय** को अधिक से अधिक बढ़ा कर लाह कृषको को ज्यादा से ज्यादा वृद्धि में सहयोग करना है। एक समेकित कार्य योजना के तहत् integrated approach से समग्र विकास होगा तथा राज्य के कृषको को सही मूल्य एवं लाभ तथा आय वृद्धि होगी।

(ii) JSLPS ने वर्ष 2015-16 से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लाह की खेती प्रारंभ करते हुए वर्ष 2018-19 में 27641 किसानों, 2019-20 में 36550 किसानों एवं 2020-21 के दौरान 60086 किसानों को आच्छादित किया जाना है।

JSLPS द्वारा वर्ष 2015-16 से वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्रम में क्रमशः वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 27,641 एवं 36,550 कृषको को आच्छादित किया गया है। उत्पादन क्रमशः 1052MT एवं 1935 MT रहा जिसका मूल्य क्रमशः रू0 23.6 करोड़ एवं रू0 43.5 करोड़ रहा है।

वन विभाग द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 में 2125 ग्रामों के संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के स्वयं सहायता समूह के 10 सदस्य प्रति समूह को प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रकार कुल-21250 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है एवं उन समितियों को Tool kit भी उपलब्ध कराए गए हैं।

2. झारखण्ड राज्य में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पास लगभग 10 जिलों में लाह फार्म है जिसमें से प्रथम चरण में पाँच जिलों के लाह फार्म का संयुक्त प्रबन्धन पर ग्रामीण विकास विभाग के अधीन झारखण्ड स्टेट लिवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी (JSLPS) के साथ सहमति दी जाती है जिसका ब्यौरा निम्न है:-

क्र0सं0	लाह फार्म का नाम	वन प्रमंडल का नाम	पोषक वृक्षों की संख्या
1	किता लाह फार्म, सिल्ली	राँची वन प्रमंडल, राँची।	12000
2	तियाड़ा, चास	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	8000
3	सिलफोर, चास		
4	काशी झरिया, चास		
5	जोरी लाह फार्म	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	9000
6	कुन्दरी लाह फार्म	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	62000
7	पितकी, बमानी	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	300
8	शहरबेड़ा सपड़ा		500

(ii) शेष फार्म का आकलन कर, निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप संयुक्त सहमति से दोनों विभागों के बीच संयुक्त प्रबन्धन का निर्णय लिया जायेगा। इस कार्य हेतु अलग से मंत्रिपरिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) कंडिका-2(i) में अंकित लाह फार्म वर्त्तमान में तत्काल संयुक्त प्रबन्धन के अधीन संचालित होगा।

3.(क) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वर्तमान में संयुक्त प्रबन्धन के अधीन लाह फार्म कंडिका-2(i) में वर्णित पर निम्न कार्य किया जायेगा:-

(i) फार्म को अतिक्रमण मुक्त रखना एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्य यथा-ट्रेंच फेसिंग इत्यादि करना।

(ii) फार्म में नये पलास/बेर के पौधा का रोपण करना तथा मृत पौधो को हटाना।

(iii) फार्म का रख-रखाव पूर्ववत करना एवं JSLPS को पूर्ण सहयोग करना ताकि कृषको को अपना कार्य करने में कोई बाधा न हो।

(iv) वन क्षेत्र में पलास/बेर के 12.48 लाख पौधा पर JFMC/SHG के माध्यम से लाह खेती को प्रोत्साहित करना।

(V) विभाग द्वारा सृजित लाह प्रोसेसिंग यूनिट का प्रबन्धन JSLPS-JFMC के साथ संयुक्त रूप से करना। इससे कृषको की आय वृद्धि में सहयोग होगा।

3.(ख) ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से JSLPS द्वारा निम्न कार्य किया जायेगा:-

(i) फार्म संचालन (ब्रुड लैक तैयार करना, वितरण इत्यादि कार्य)।

(ii) उत्पाद की प्रोसेसिंग करना।

(iii) प्रोसेसड लाह की मार्केटिंग तथा आय वृद्धि की योजनाओं का सृजन एवं कार्यान्वयन करना।

(iv) JSLPS संयुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूहों, जो कि पहले से ही इन लाह फार्मों के साथ जुडे हुए हैं एवं JSLPS द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों के बीच synergy स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। पर्याप्त लाभ JFMC-SHG को भी प्राप्त हो। यह JSLPS के SHG के अंग के रूप में कार्य करेगा।

(v) JSLPS सभी गुपों JFMC/SHG द्वारा उत्पादित लाहों के भण्डारण, प्रसंस्करण एवं बाजार उपलब्ध करायेंगे।

(vi) JSLPS पूरे System के लिए MIS Develop करेंगे, जिसमें सभी detail रहेगा तथा **इसे Public Domain में upload किया जाएगा। यह मासिक update किया जायेगा।**

(vii) उक्त व्यय JSLPS द्वारा किया जायेगा।

(ग) संबंधित अन्य विभागों के समन्वय से किए जाने वाले कार्य-

(i) उत्पाद की समुचित बिक्री हेतु झास्कोलैम्पफ के साथ समन्वय करना एवं JFMC/SHG को वन धन विकास केन्द्र (VDVKS) के रूप में ट्राइफेड के तहत अच्छादित कराकर शत-प्रतिशत उत्पाद की बिक्री कराना।

(ii) झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0/झास्कोलैम्पफ/ट्राइफेड इत्यादि से समन्वय करेगा ताकि समेकित विकास हो तथा अधिकतम लाभ कृषको को प्राप्त हो।

(iii) विभाग के अधीन लाह फार्म प्रबन्धन तथा उक्त समन्वय हेतु प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम को अधिकृत किया जाता है। यह JSLPS के राज्य स्तरीय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) से समन्वय करेगा। यह झास्कोलैम्पफ/कल्याण विभाग/ट्राइफेड से भी समन्वय करेगा। इस कार्य हेतु झारखण्ड राज्य वन विकास निगम नोडल एजेंसी का कार्य करेगा।

(iv) मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत् बेर के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि होस्ट वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो तथा ज्यादा परिवार आच्छादित हो। यह कार्य संयुक्त रूप से दोनो विभाग (3 (क) एवं (ख) में अंकित) कर सकेगा। सम्बन्धित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रथम चरण में लाह फार्म के निकटवर्ती पंचायतो में इसका विस्तार करेगा।

(v) कृषि एवं गन्ना एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत झास्कोलैम्पफ द्वारा राज्य में कृषकों से लाह की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। JSLPS झास्कोलैम्पफ से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक मात्रा में कृषको से लाह के खरीदरी सुनिश्चित करायेंगे।

(vi) **सभी नोडल विभाग यथा-JSLPS-JSFDC-Jhascolamps आपसी सहमति से पोर्टल की design/सूचना इत्यादि हेतु समन्वय करेगा।**

(vii) उक्त वर्णित विभागों द्वारा लाह की खेती के संदर्भ में अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए, संबंधित विभागों में synergy स्थापित कर integrated approach के तहत वर्णित कार्य किया जाय ताकि duplication न हो।

4. परियोजना के तीसरे वर्ष के अंत तक कंडिका-3 में वर्णित लाह फार्म के 09 गाँव के पूरे 211 महिला मंडल के 2110 परिवारों को जोड़ लिया जायेगा। जबकि ब्रूड फार्म में उपलब्ध मेजबान 91800 पौधों को अच्छादित करते हुए ब्रूड फार्म के आस पास के 4000 परिवारों को जोड़ा जाय। जिससे रू0 2.97 करोड़ मूल्य का 84.82 टन ब्रूड लाह का उत्पादन होगा। इस ब्रूड लाह के द्वारा आगे के वर्षों में लगभग कुल-6.66 लाख परिवारों के द्वारा 1.6 करोड़ पलास एवं बेर के पौधों में वैज्ञानिक पद्धति से लाह की खेती की जाएगी, जिससे अनुमानतः 13992 टन ब्रूड लाह का एवं 7995 टन स्क्रैप लाह का उत्पादन होगा जिसका मूल्य रू0 6496 करोड़ होता है। इस कार्य से लाह उत्पादकों को शुद्ध लाभ रू0 3498 करोड़ प्राप्त होगा। प्रत्येक परिवार को रू0 5250/- शुद्ध लाभ प्राप्त होगा।

(ii) लाह फार्म में JFMC/JSLPS के SHG समूह संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। ऐसे JFMC/SHG जो फार्म के निकट होंगे उसी को प्राथमिकता दी जायेगी। इसका प्रबन्धन JSLPS के अधीन ही किया जायेगा। JFMC की लिस्ट झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा JSLPS को उपलब्ध करा दी जायेगी।

M

5. (क) ब्रुड लाह फार्म में चल रहे कार्यों के **अनुश्रवण** हेतु जिला स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

उपायुक्त	-	अध्यक्ष।
वन प्रमंडल पदाधिकारी	-	सह-अध्यक्ष।
PDITDA/DWO	-	सदस्य।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी JSLPS	-	सदस्य सचिव।
संबंधित फार्म के लिए JSLPS द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी	-	सदस्य।
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के प्रतिनिधि	-	सदस्य।
जिला सहकारिता पदाधिकारी/झास्कोलैम्पफ के जिला स्तरीय प्रतिनिधि	-	सदस्य।

(ii) विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आवश्यकतानुसार कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किसी को JFMC/SHG के सदस्य/experts को समिति के अध्यक्ष आमंत्रित कर सकते है।

(ख) उक्त समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक करेगी। समिति का कार्य निम्नवत् होगी:-

(i) लाह किसानों के समुचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा।

(ii) उत्पादित ब्रुड लाह के किसानों के बीच में वितरण की समीक्षा।

(iii) लाह फार्म के स्तर पर वन विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों एवं JSLPS द्वारा उत्पादित लाहों के भण्डारण प्रसस्करण एवं बाजार उपलब्ध कराने के बिन्दु पर निर्णय लेना।

(iv) लाह फार्म के स्तर पर कार्य के दौरान किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर उसका resolution करना।

(v) प्रत्येक वर्ष सामाजिक अंकेक्षण (ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित ईकाई) से कराना।

(vi) प्रत्येक फार्म के स्तर पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, जो कि ब्रुड लाह के उत्पादन के क्रम में फार्म में कार्य करेंगे उनके लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र संयुक्त हस्ताक्षर (झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0 के पदाधिकारी एवं DPC-JSPC) द्वारा निर्गत करना।

6. उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक कमिटि का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

(i)	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष।
(ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,	-	सदस्य।
(iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य।
(iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	-	सदस्य।
(v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	सदस्य।
(vi)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0	-	सदस्य।
(vii)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JSLPS झारखण्ड	-	सदस्य सचिव।

उपर्युक्त समिति कार्यों की वार्षिक समीक्षा करेगी। किसी प्रकार का विवाद होने पर resolution के लिए कार्य करेगी। यह वार्षिक बैठक जुलाई-अगस्त माह में प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी। इसके समक्ष वार्षिक कार्य योजना, उपलब्धि, कृषकवार- Portal based ब्यौरा, सामाजिक अंकेक्षण, वितीय अंकेक्षण का प्रतिवेदन।

7. उपर्युक्त योजना का कार्यकाल 5 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25) का होगा। प्रगति के आधार पर कंडिका-06 में वर्णित समिति की अनुशंसा पर 5 (पाँच) वर्ष पुनः विस्तारित किया जायेगा।

8. विभागीय पत्रांक-06/वन निगम-11/2020-3077 दिनांक-07.10.2020 संकल्प निर्गत के तिथि से स्वतः विलोपित समझा जायेगा।

उक्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-3547 दिनांक-10.11.2020 मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-23.12.2020 में मद संख्या-10 के रूप में सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-06/वन निगम-11/2020- 148 व०प०, राँची, दिनांक- 19/01/2021

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-06/वन निगम-11/2020- 148 व०प०, राँची, दिनांक- 19/01/2021

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, रांची/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-06/वन निगम-11/2020- 148 व०प०, राँची, दिनांक- 19/01/2021

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय Website ***www.forest.jharkhand.gov.in*** पर Upload करने हेतु प्रेषित/नोडल पदाधिकारी (ई-गजट), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-06/वन निगम-11/2020- 148 व०प०, राँची, दिनांक- 19/01/2021

प्रतिलिपि-विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।